

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR
UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

I.D. NO:-310500412

Block/Sector:-

Plot/House:-658

SCHEME : NON SCHEME

Permit Date:- 23/01/2013

Application Date:-31/05/2012

Permit No:-176/BHAWAN/2012-13

Area (Place):-SINGHPUR KACHHAR

Land Usage:- GROUP HOUSING

Applicant's Name- SRI LATA MITTAL

Present Address:- 7/81 TILAK NAGAR, KANPUR

Sanction vide order dated: 28/08/2012 V.C. build granted as per sanctioned building Plan enclosed subject to the condition as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years the date of sanction for fresh map one year in Case of renewal.


05/02/13
Authorised Signatory

Copy to:- Officer incharge (Enforcement) alongwith sanctioned copy of Map.


Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तें

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रस्ताव की जाती है, किन्तु इनके फलस्वरूप संदर्भित भू/प्लॉट का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवक्षित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवक्षित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यवेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह प्राप्त होने पर कि अनुज्ञा समाप्त तथा नष्ट की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आर्केड बाल्कनी, छज्जा, कारनिंग और किसी प्रकार के छेदों के रूप में ही धाँसे भले हो, ऐसे प्रक्षेप भूल से इन नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महानपालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक् स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्ण स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की गारंटी नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य कर जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार-उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अनुमति नहीं दीये गये।
6. ऐन वाटर हार्डवेयरिंग, यूटिलिटीज का प्राविधान करना होगा।
7. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
8. प्लॉट की उपविधि 2008 के अनुसार दृष्ट लगाने होगी। एवं वास्तु वाटर हार्डवेयर का प्राविधान करना होगा।
9. उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. बेसमेंट व फ्लैट्ट का उपयोग केवल पार्किंग हेतु ही किया जायेगा।
11. भवन उपविधि में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु दिये गये प्रारूप के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त भवन में अध्यासन की कार्यवाही की जायेगी।
12. भवन का समस्त निर्माण तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में किया जायेगा।
13. भू-स्वामित्व विषयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लॉट की होगी।
14. किसी भी शर्त का पालन न किये जाने की दशा में गानवित्र स्वतः निरस्त समाप्त जायेगा।

Authorised Signatory